HRCL and USIUSIUS Of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1728]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

No. 1728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SHRAVANA 2, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

का.आ. 2274(अ).—यत:, मै. पार्श्वनाथ इन्फ्रां लिमिटेड जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने सोहना रोड़ गुड़गाँव, हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था:

और यत: केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा(1)द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1445 (अ) द्वारा 42.7045 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था।

और यत:, मै. पार्श्वनाथ इन्फ्रां लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 42.7045 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 27 जून, 2013 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती हैं ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/157/2006-एसईजेड]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2013

S.O. 2274(E).—Whereas, M/s. Parsvnath Infra Ltd. had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES at Sohna Road, Gurgaon in the state of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 42.7045 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1445 (E) dated 23rd August, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Parsvnath Infra Ltd. has proposed to denotify the entire area of 42.7045 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de notification of above area on 27th June, 2013;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/157/2006-SEZ] RAJEEV ARORA , Jt. Secy.

3264 GI/2013

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[Part II—Sec. 3(ii)]

=

(1)

(2)

(3)

(4)